

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती रूकसाना

विपक्षी : श्री मुस्ताक

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 14/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाली तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 04.05.2023</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 कैम्प वासनीकलां में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। मूल वाद आज दिनांक को स्वीकार होकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका है। चूंकि मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र में उभय पक्ष को मूल वाद में अन्तिम डिक्री जारी होने तक पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं, जिससे उक्त प्रकरण में बंटवाडा होने तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनी रहे, ताकि बंटवाडे के दौरान किसी प्रकार की पैचिदगीया उत्पन्न ना हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 का स्वीकार कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा वासनीखुर्द पटवार हल्का वासनीकलां की आराजी न. 765 किता 1 रकबा 1.1817 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद में बंटवाडा होकर अन्तिम डिक्री जारी होने तक उभय पक्षकारान मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p>(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

